

करी
का
समाप्त

01/06/22 - वकील शर्मा उपा। वि. ग. ग. उपा।
पत्रावली पेश की गई
दि. 21.7.2022 को पेश हो

(करी शर्मा)
सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

21.7.22 - पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O. साहब
अन्य कार्यों में व्यस्त होने से पत्रावली
दिनांक 29.7.22 को पेश हो।

07-09-22

वकील शर्मा उपा. वि. ग. ग. उपा.
के आवेदनानुसार वि. ग. ग. उपा. के विरुद्ध
उक्त उपा. को अदालत में पेश करने
का प्रस्ताव किया गया है। उक्त उपा. पर
पत्रावली पेश की गई है। उक्त उपा. का
पूर्वक अंतर्लोकन किया। किंतु उपा. कि
वकील शर्मा को अदालत में अपनी स्वातंत्र्य
शक्ति में विचारणीय माना जा रहा है। उक्त उपा. को
नहीं करने व सुनिश्चित नहीं करने
बाद काद जाया हो जो प्रस्ताव में
लक्ष्य लक्ष्य के आधार पर तदनुसार
लेकिन उक्त विचारण बाद उक्त उपा.
के प्रथम प्रेषण पहिली को लेकर
विवाद रहता है उक्त उपा. को
स्वातंत्र्य शक्ति में उक्त उपा. को
उपा. है, जो उपा. को सुनिश्चित
शक्ति होनी की उक्त उपा. उक्त उपा.


सहायक कलेक्टर
(S.D.O.) बालोतरा

31/2019

हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस हुक्म
की सामील में जारी हुए

पैनी शरत में खाली लगान आदेश
को प्रभावित राखा जाता आदेश है।
श्रीमत्ता प्रार्थी का आवेदन-पत्र त्वरीकर
डिमा व्यक्त समाप्तपत्र द्वारा जारी
लगान आदेश दिनांक 14.3.2019 को
सूचना के निर्णय तक अन्तर्गत दिमा
जाता है।
आदेश सुनाया गया।
प्रार्थी केवल सुनाए दोष दालीक
दस्तावेज में।


सहायक कलेक्टर
(S.B.O.) बालोतरा